-प्रेस नोट-

जनपद-मीरजापुर

दिनांक-10.09.2021

मीरजापुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते अभियोग से सम्बन्धित 02 अभियुक्तो को मा0न्यायालय द्वारा प्रत्येक को ₹ 1,000.00/- के अर्थदण्ड की सुनाई गई सजा —

जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन व क्षेत्राधिकारी ऑपरेशन के नेतृत्व में थाना अहरौरा पुलिस तथा मॉनीटरिंग/पैरवी सेल की प्रभावी पैरवी के चलते अभियोग से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को मा0न्यायालय द्वारा प्रत्येक को ₹ 1,000.00/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 21.07.2013 को मीरजापुर के थाना अहरौरा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम दुर्गापहाड़ी निवासिनी प्रभावती की तहरीर के आधार पर नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध थाना अहरौरा पर एनसीआर-85/2013 धारा 323,504 भादवि पंजीकृत किया गया था।

उक्त प्रकरण के संबंध में विवेचना अधिकारी द्वारा विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर थाना अहरौरा पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल द्वारा प्रकरण को गंभीरता से समयानुसार समस्त गवाहों एवं साक्ष्यों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी व सख्त पैरवी की गई । जिसके सफल परिणामस्वरूप उक्त अपराध कारित करने वाले दोनो आरोपियों को आज दिनांक 10.09.2021 को मा0न्यायालय द्वारा प्रत्येक को ₹ 1,000.00/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 02 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा।

नाम पता अभियुक्त —

1-भागवत उर्फ तिवारी पुत्र रामप्रसाद निवासी दुर्गा पहाड़ी थाना अहरौरा मीरजापुर।

2-त्रिभुवन पुत्र भागवत उर्फ तिवारी निवासी दुर्गा पहाड़ी थाना अहरौरा मीरजापुर।